संख्या-42/2018/907/71-3-2018-एन0एम0-08/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 14 नवम्बर, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, देवरिया के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत देवरिया के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, देवरिया बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, देवरिया के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-10-2018 में अनुमोदित लागत रू0 20791.32 लाख (रू0 दो अरब सात करोड़ इक्यानवे लाख बत्तीस हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष **रू0 50.00 करोड़ (रू0 पचास करोड़ मात्र) की धनराशि** केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य अनुमोदित लागत एवं निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा भविष्य में कोई भी मूल्यवृद्धि/पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज (05 प्रतिशत) चार्ज लिया जाएगा। आगणन में सम्मिलित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. निष्प्रोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. महानिदेशक, चि0शि0/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भूमि के निर्विवाद होने के सम्बन्ध में पुष्टि करा ली जायेगी।
12. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. प्रायोजना अन्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित की गयी 02 प्रतिशत कंटिन्जेन्सी भी अनुमन्य की जा रही है। प्रश्नगत प्रायोजना में थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/इन्सपेक्शन की लागत 1.00 प्रतिशत अनुमन्य की जा रही है।
14. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
15. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानक के अनुसार Letter of Priority के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
16. प्रायोजनान्तर्गत हास्पिटल की पुरानी बिल्डिंग के डिस्मेटलिंग का प्राविधान किया गया है। अतः डिस्मेटलिंग से प्राप्त मलवा से प्राप्त धनराशि को राजकोष में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
18. प्रायोजना प्रस्ताव में सबस्टेशन उपकरण, डी0जी0सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडुलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0एस0डी0 उपकरण, लाण्ड्री उपकरण, किचेन उपकरण, इन्सीनेटर, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, इ0पी0बी0एक्स की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। महानिदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
19. प्रायोजनान्तर्गत मेडिकल उपकरण फिक्चर, फर्नीचर आदि हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक माडल एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर में लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार उक्त का नियमानुसार क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
20. प्रश्नगत प्रायोजना मे भूमि उपलब्धता एवं भविष्य के दृष्टिगत एकेडमिक एवं अस्पताल भवन को भविष्य में दो अतिरिक्त तलों के निर्माण किये जाने की लागत को अनुमन्य किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

21. प्रायोजनान्तर्गत अण्डर ग्राउण्ड टैंक, लेबलिंग, आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्रार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर एवं साइन बोर्ड की लागत सी0पी0डब्लू0डी0 प्लिन्था एरिया रेट के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।
22. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
23. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2293/दस-2018, दिनॉक 14 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या:-42/2018/907(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, देवरिया।
6. अनु सिचव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, देवरिया।
8. प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
10. नियोजन-अनुभाग-4
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasan desh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।